Telephone – 2225634 Fax – 0612 – 2221056

महालेखाकार (ले0 एवं ह0) का कार्यालय, बिहार, पटना
OFFICE OF THE ACCOUNTANT GENERAL (A & E), BIHAR, PATNA

पत्रांक / No.: Admn I/(A&E)/T&P (1208/3)/23-24/C- 43
दिनांक / Date: .04.2023
18.05.2023

कार्यालय आदेश

सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरांत, निम्नलिखित आदेश तत्काल प्रभाव से निर्गत किया जाता है:

1. श्री कालीचरण, वरीय लेखाकार (वर्तमान पदस्थापना – गोपनीय कोषांग) को दो माह के लिए डबल्यूएम-II अनुभाग में अतिरिक्त रूप से संलग्न किया जाता है। सहायक लेखा अधिकारी, डबल्यूएम-II अनुभाग को निर्देशित किया जाता है कि इस संबद्धता के दौरान संबन्धित कर्मचारी को संबन्धित कार्य में कुशल / पारंगत करेंगे, ताकि संबद्धता के समाप्त होने के उपरांत संबन्धित कर्मचारी कुशलता से कार्य कर सके। उक्त अतिरिक्त संबद्धता को विस्तारित नहीं किया जाएगा।
2. सहायक लेखा अधिकारी, पेंशन डिस्पैच को एतद द्वारा निर्देश दिया जाता है कि श्री अम्लन कुसुम दास, लेखाकार को तत्काल प्रभाव से डीसी सेल- II के लिए विरमित करे एवं आदेश निर्गत होने के तीन कार्य दिवस के अंदर यह भी स्पष्ट करे कि क्यो श्री अम्लन कुसुम दास, लेखाकार को कार्यालय आदेश सं Admn I/(A&E)/T&P(1208/3)/22-23/C-296 दिनांक 22.03.2023 के अनुपालन में डीसी सेल- II के लिए विरमित नहीं किया गया।
3. श्री मनीष कुमार, लेखाकार (वर्तमान पदस्थापना पेंशन 7) को एक माह के लिए वीएलसी अनुभाग में अतिरिक्त रूप से संलग्न किया जाता है। सहायक लेखा अधिकारी, वीएलसी अनुभाग अनुभाग को निर्देशित किया जाता है कि इस संबद्धता के दौरान संबन्धित कर्मचारी को संबन्धित कार्य में कुशल / पारंगत करेंगे, ताकि संबद्धता के समाप्त होने के उपरांत संबन्धित कर्मचारी कुशलता से कार्य कर सके। उक्त अतिरिक्त संबद्धता को विस्तारित नहीं किया जाएगा।
4. श्री अरुण कुमार पोद्दार, सहायक पर्यवेक्षक (वर्तमान पदस्थापना – Trg & Exam अनुभाग) को एक माह के लिए UC Adjustment Cell में अतिरिक्त रूप से संलग्न किया जाता है।

आज़ादी का अमृत महोत्सव

5. सहायक लेखा अधिकारी, एलटीए -I `को एतद द्वारा निर्देश दिया जाता है कि श्री दिलीप कुमार रजक, वरीय लेखाकार को तत्काल प्रभाव से पेंशन 9 के लिए विरमित करे, अन्यथा कार्यालय आदेश दिनांक 08.05.2023 के अवहेलना के संबंध में आवश्यक अग्रेतर कार्रवाई की जाएगी।

6. सहायक लेखा अधिकारी, प्रशासन II को एतद द्वारा निर्देशित किया जाता जाता है कि श्री अम्लन कुसुम दास, लेखाकार एवं श्री दिलीप कुमार रजक, वरीय लेखाकार का कार्यभार प्रतिवेदन प्राप्त नहीं होने की स्थिति में संबन्धित सहायक लेखा अधिकारी के आगामी माह का वेतन अवरुद्ध रखेंगे। साथ ही पूर्व स्थानांतरण आदेश एवं अन्य आदेश के आलोक में किसी कर्मचारी एवं अधिकारी का उक्त प्रतिवेदन प्राप्त न होने के स्थिति में संबन्धित कर्मचारी / अधिकारी का भी आगामी माह का वेतन अवरुद्ध रखेंगे।

(प्राधिकार: उप महालेखाकार (प्रशासन) का संबन्धित संचिका में आदेश दिनांक 18.05.2023)

ह0/-

उप महालेखाकार (प्रशासन)

प्रतिलिपि:

1. महालेखाकार (ले0 & ह0) का सचिवालय .
2. उप महालेखाकार (प्रशासन & जीई) का सचिवालय
3. उप महालेखाकार (लेखा, वीएलसी & कार्य) का सचिवालय
4. उप महालेखाकार (पेंशन & निधि) का सचिवालय
5. कार्यालय के सभी कर्मचारी / अधिकारी (द्वारा सोशल नेटवर्किंग ग्रुप)
6. संबन्धित कर्मचारी / अधिकारी
7. आईटीएस : वैबसाइट पर अपलोड करने हेतु

वरिष्ठ लेखा अधिकारी (प्रशासन -I)

आज़ादी का
अमृत महोत्सव